



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 199 राँची, सोमवार,

28 अप्रैल, 2025 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 अप्रैल, 2025

संख्या-एल0जी0-13/2023-21/लेज०, झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-11/04/2025 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

३ झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संसोधन) अधिनियम, 2023
(झारखण्ड अधिनियम- 06, 2025)

विषय सूची

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
- झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प सं०- 1938, दिनांक-20.04.2021 के प्रावधानों के आलोक में यथानिर्धारित 5% क्षैतिज आरक्षण प्रावधानित करने के संबंध में

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु अधिनियम, 2023

झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करने के लिए अधिनियम |

भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में झारखंड राज्य विधान मण्डल (सभा) द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ |

(1) यह अधिनियम “झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023” कहलाएगा |

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा |

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा |

2. झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) की उपधारा (ii) के पश्चात निम्नवत उपधारा जोड़ा जाता है :-

(iii) गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प सं०- 1938, दिनांक-20.04.2021 के प्रावधानों के आलोक में यथानिर्धारित 5% क्षेत्रीय आरक्षण |

राजेश शरण सिंह,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
